



हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली पेश हुई। प्राची व सार्थी वकील
में से कोई उपस्थित नहीं आया, न्यायालय
द्वारा बार-बार आवाज लगाये जाने के
उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं आया,
लिहाजा पत्रावली अदम हाजरी व अदम
पैरवी में खारिज करके दाखिल दफतर से
जाकर नम्बर से काम की जाती है।

**सुपचण्ड अधिकारी
बसपा (दीला)**

